

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2465

द्वारा माननीय विधायक एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट

प्रदेश में वर्तमान में 133 कौशल विकास केन्द्र विभिन्न 133 विकासखंडों में स्थापित हैं। इनमें से 113 कौशल विकास केन्द्र म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश क्रमांक- एफ 21-3/2011/बयालीस (2), भोपाल दिनांक 20.07.2011 द्वारा तथा 20 कौशल विकास केन्द्र विभाग के आदेश क्रमांक- एफ 21-3/2011/बयालीस (2), भोपाल दिनांक 23.07.2013 द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। अवधारणाएँ निम्नानुसार हैं:

- I. रोजगार बढ़ाने।
- II. प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने।
- III. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को त्वरित गति से बढ़ावा देने।
- IV. सर्वप्रथम अनसर्विस्ड विकासखंडों अर्थात् ऐसे विकासखंडों में जहां पूर्व से शासकीय एवं निजी आईटीआई संचालित नहीं है, कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- V. योजनांतर्गत प्रथमतः आदिवासी बाहुल्य, अनुसूचित जाति बाहुल्य, अल्पसंख्यक बाहुल्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों के नजदीक विकासखंडों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- VI. कौशल विकास केन्द्र में केवल अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
- VII. प्रशिक्षण हेतु टारगेट ग्रुप- विद्यालय छोड़ चुके युवा, बेरोजगार युवा, वर्तमान में कार्यरत श्रमिक, बाल श्रमिक तथा ऐसे श्रमिक जो पूर्व से ही अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं किंतु उनकी दक्षता का प्रमाणीकरण नहीं है।



(आर.के.ऑस्टिन)

उपसंचालक

मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं
प्रशिक्षण परिषद, भोपाल (म.प्र.)